NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 3. Share Application Money Pending Allotment

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Share Application Money Pending Allotment	
(i) Governement of India (GOI)	-
(ii) Governement of Maharashtra (GOM)	648.00
Total	648.00

EXPLANATORY NOTES

a) No of Shares to be issued is 64.8 Lacs of Rs. 10/- each.

b) Shares shall be issued on the reciept of matching contribution from GOI and GOM.

Note: 4. Long-term borrowings

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Term loans	
Unsecured	
(i) Interest Free Sub Ordinate Debt from Government of India	700.00
Total	700.00

EXPLANATORY NOTE

During the year, the Company has received an Interest Free Subordinate Debt from Government of India amounting to Rs. 700 Lacs towards central taxes. The loan becomes repayable after other long term loans raised for the project is fully repaid.

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 3: आबंटन तक शेयर आवेदन संबंधी धनराशि

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
आबंटन तक शेयर आवेदन संबंधी धनराशि	
(i) भारत सरकार (जी ओ आई)	-
(ii) महाराष्ट्र सरकार (जी ओ एम)	648.00
योग	648.00

व्याख्यात्मक नोट

क) जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या 10/- रु के 64.8 लाख शेयर हैं।

ख) शेयर भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार में समतुल्य योगदान की प्राप्ति होने पर जारी किए जाएंगे।

नोट 4: दीर्घकालिक ऋण

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
आवधिक ऋण	
अप्रतिभूत	
(i) भारत सरकार से ब्याज मुक्त गौण ऋण	700.00
योग	700.00

व्याख्यात्मक नोट

वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से केन्द्रीय करों के लिए 700 लाख रु का ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुआ है। परियोजना के लिए प्राप्त अन्य दीर्घकालिक ऋणों का पूर्णतया वापसी अदायगी हो जाने के बाद यह ऋण प्रतिदेय हो जाता है।

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 5. Long-term provisions

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Provision for employee benefits:	
(i) Provision for Leave Encashment	32.02
(ii) Provision for gratuity (net)	3.77
(b) Provision against Land Acquisition Cost	49,567.69
Total	**49,603.47**

EXPLANATORY NOTES
Refer Point No. 2 (k) of Significant Accounting Policies

Note: 6. Other current liabilities

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(i) Statutory remittances (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, etc.)	137.72
(ii) Payables on purchase of fixed assets	2.57
(iii) Trade / security deposits received	29.06
(iv) Project related liabilities	1,148.72
(v) Earnest Money Deposit	28.88
(vi) Other Payables	154.28
Total	**1,501.23**

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट: 5 दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	
(i) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	32.02
(ii) उपदान के लिए प्रावधान	3.77
(ख) भूमि अर्जन लागत के लिए प्रावधान	49,567.69
योग	**49,603.47**

व्याख्यात्मक नोट
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का बिन्दु सं. 2(ट) का संदर्भ लें

नोट 6: अन्य चालू दायिताएं

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(i) सांविधिक विप्रेषण (पी एफ तथा ई एम आई सी में अंशदान, करों, उत्पाद शुल्क वैट, सेवा कर इत्यादि के लिए कटौती)	137.72
(ii) अचल परिसंपत्ति की खरीद के लिए संदर्भ राशि	2.57
(iii) प्राप्त व्यापारिक/प्रतिभूत जमा	29.06
(iv) परियोजना संबंधी दायिताएं	1,148.72
(v) बयाना राशि	28.88
(vi) अन्य संदेय राशि	154.28
योग	**1,501.23**

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 7. Short-term provisions

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Provision for Audit Fees	
Statutory Audit	4.20
Internal Audit	4.00
Provision for Actuary Fees	0.38
Provision for Tax	
Interest Payable on Professional Tax	0.00
Interest Payable on Service Tax	1.44
Interest Payable on Works Contract Tax	0.53
Total	**10.54**

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 7: अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
लेखापरीक्षा शुल्कों का प्रावधान	
सांविधिक लेखा परीक्षा	4.20
आंतरिक लेखा परीक्षा	4.00
शुल्कों के लिए प्रावधान	0.38
कर के लिए प्रावधान	
व्यावसायिक कर पर देय ब्याज	0.00
सेवा कर पर देय ब्याज	1.44
निर्माण कार्य संविदा पर देय ब्याज	0.53
योग	**10.54**

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 8. Fixed Assets

Rs. in Lakhs

A.1 Tangible assets	Gross block									
	Balance as at 18 Feb, 2015	Additions	Disposals	Acquisitions through business combinations	Reclassified as held for sale	Revaluation increase	Effect of foreign currency exchange	Borrowing cost capitalised	Other adjustments	Balance as at 31 March, 2016
Land	-	49,567.69	-	-	-	-	-	-	-	49,567.69
Buildings	-	533.57	-	-	-	-	-	-	-	533.57
Computer	-	81.35	-	-	-	-	-	-	-	81.35
Electrical equipments	-	32.43	-	-	-	-	-	-	-	32.43
Furniture & Fixtures	-	80.97	-	-	-	-	-	-	-	80.97
Office Equipments	-	90.20	-	-	-	-	-	-	-	90.20
Plant & Machinery	-	8.67	-	-	-	-	-	-	-	8.67
Vehicles	-	39.46	-	-	-	-	-	-	-	39.46
Total	**-**	**50,434.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,434.34**
Previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.2 Tangible assets	Accumulated depreciation and impairment									Net block
	Balance as at 18 Feb, 2015	Depreciation/ amortisation expense for the year	Eliminated on disposal of assets	Eliminated on reclassification as held for sale	Impairment losses recognised in statement of profit and loss	Reversal of impairment losses recognised in Statement of Profit and Loss	Effect of foreign currency exchange	Other adjust-ments	Balance as at 31 March, 2016	Balance as at 31 March, 2016
Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,567.69
Buildings	-	1.80	-	-	-	-	-	-	1.80	531.77
Computer	-	12.85	-	-	-	-	-	-	12.85	68.50
Electrical equipments	-	1.75	-	-	-	-	-	-	1.75	30.69
Furniture & Fixtures	-	3.43	-	-	-	-	-	-	3.43	77.54
Office Equipments	-	8.88	-	-	-	-	-	-	8.88	81.33
Plant & Machinery	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	8.64
Vehicles	-	3.88	-	-	-	-	-	-	3.88	35.57
Total	**-**	**32.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.62**	**50,401.72**
Previous year	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Explanatory Note

i. Building comprising of Flats valuing Rs. 533.57 Lakhs purchased by company from Nagpur Improvement Trust (NIT) on 24-Feb-2016, however, title deed has not been registered in the name of the company.

ii. Approved funding plan of NMRCL envisages Rs. 64400 lakhs towards cost of land acquisition. The amount is to be contributed by Nagpur Improvement Trust (NIT) by Rs. 28300 Lakhs and Nagpur Municipal Corporation (NMC) by Rs. 36100 Lakhs. Possession letter of land measuring 719791.849 Sq. mts. costing Rs. 49567 Lakhs has been received from various government agencies. Pending execution of deed of transfer of title of ownership to NMRCL, the same has been booked as cost of land by crediting to provisions. As and when the details of fund contributed by NIT & NMC is received the same shall be booked as contribution from NIT & NMC.

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 8: अचल परिसंपत्ति

रु.लाख में

क.1 मूर्त परिसंपत्ति	सकल ब्लाक									
	18 फरवरी 2015 के अनुसार शेष	योग	निपटान	व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अर्जन	ब्रिकी के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत	पुनर्मूल्यन में वृद्धि	विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रभाव	पूंजीकृत ऋण लागत	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार शेष
भूमि	-	49,567.69	-	-	-	-	-	-	-	49,567.69
भवन	-	533.57	-	-	-	-	-	-	-	533.57
कंप्यूटर	-	81.35	-	-	-	-	-	-	-	81.35
विद्युत उपस्कर	-	32.43	-	-	-	-	-	-	-	32.43
फर्नीचर एवं जुड़नार	-	80.97	-	-	-	-	-	-	-	80.97
कार्यालयी मशीनरी	-	90.20	-	-	-	-	-	-	-	90.20
संयंत्र एवं मशीनरी	-	8.67	-	-	-	-	-	-	-	8.67
वाहन	-	39.46	-	-	-	-	-	-	-	39.46
योग	**-**	**50,434.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,434.34**
विगत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क.2 मूर्त परिसंपत्ति	संचित मूल्यह्रास एवं हानिकरण									निवल ब्लाक
	18 फरवरी 2015 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	परिसंपत्ति के निपटान पर निकाला गया	ब्रिकी के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत पर निकाला गया	लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात हानिकरण नुकसान	लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात हानिकरण नुकसान का उत्क्रमण	विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रभाव	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 के अनुसार शेष
भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,567.69
भवन	-	1.80	-	-	-	-	-	-	1.80	531.77
कंप्यूटर	-	12.85	-	-	-	-	-	-	12.85	68.50
विद्युत उपस्कर	-	1.75	-	-	-	-	-	-	1.75	30.69
फर्नीचर एवं जुड़नार	-	3.43	-	-	-	-	-	-	3.43	77.54
कार्यालयी मशीनरी	-	8.88	-	-	-	-	-	-	8.88	81.33
संयंत्र एवं मशीनरी	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	8.64
वाहन	-	3.88	-	-	-	-	-	-	3.88	35.57
योग	**-**	**32.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.62**	**50,401.72**
विगत वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

व्याख्यात्मक नोट

i. 533.57 लाख रु मूल्य के फ्लैटों वाले भवन की कंपनी द्वारा 24 फरवरी, 2016 को नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) से खरीद की गई थी, तथापि विलेख कंपनी के नाम पर दर्ज नहीं किया गया है।

ii. एन एम आर सी एल की अनुमोदित योजना में भूमि के अर्जन की लागत के लिए 64400 लाख रु का उल्लेख किया गया है इस धनराशि में नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) द्वारा 28300 लाख रु तथा नागपुर नगर निगम (एनएमसी) द्वारा 36100 लाख रु का अंशदान दिया जाना है। 719791.849 वर्ग मी माप वाली भूमि जिसकी लागत 49567 लाख रु है, के स्वामित्व का अधिग्रहण पत्र विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त किया जा चुका है। एनएमआरसीएल को स्वामित्व के विलेख अंतरण के विलेख के निष्पादन होने तक इसे प्रावधानों में जमा करके भूमि की लागत के रूप में दर्ज किया गया है। जैसे ही एनआईटी एवं एनएमसी द्वारा दी गई निधि का ब्योरा प्राप्त हो जाएगा, इसे एनआईटी एवं एनएमसी से अंशदान के रूप में दर्ज किया जाएगा।

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 8. Fixed assets (contd.)

Rs. in Lakhs

B.1.Intangible assets	Gross Block								
	Balance as at 18 Feb, 2015	Additions	Disposals	Acquisitions through business combinations	Reclassified as held for sale	Effect of foreign currency exchange differences	Borrowing cost capitalised	Other adjust -ments	Balance as at 31 March, 2016
Computer software	-	21.48	-	-	-	-	-	-	21.48
Total	**-**	**21.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.48**
Previous year	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

B.2. Tangible assets	Accumulated depreciation and impairment							Net block
	Balance as at 18 Feb, 2015	Depreciation / amortisation expense for the year	Eliminated on disposal of assets	Eliminated on reclassification as held for sale	Impairment losses recognised in statement of profit and loss	Other adjust -ments	Balance as at 31 March, 2016	Balance as at 31 March, 2016
Computer software	-	3.54	-	-	-	-	3.54	17.94
Total	**-**	**3.54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.54**	**17.94**
Previous year	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 8: अचल परिसंपत्ति (जारी)

रु. लाख में

ख.1अमूर्त परिसंपत्ति	सकल ब्लाक									
	18 फरवरी 2015 के अनुसार शेष	योग	निपटान	व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अर्जन	ब्रिकी के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत	पुनर्मूल्यन में वृद्धि	विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रभाव	पूंजीकृत ऋण लागत	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार शेष
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	21.48	-	-	-	-		-	-	21.48
योग	**-**	**21.48**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**21.48**
विगत वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	

ख.2 मूर्त परिसंपत्ति	संचित मूल्यह्रास एवं हानिकरण								निवल ह्रास
	18 फरवरी 2015 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	परिसंपत्ति के निपटान पर निकाला गया	ब्रिकी के लिए धारित के रूप में पुनर्वर्गीकृत पर निकाला गया	लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात हानिकरण नुकसान	लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात हानिकरण नुकसान का उत्क्रमण	विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रभाव	अन्य समायोजन	31 मार्च 2016 के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 के अनुसार शेष
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	3.54		-	-	-		-	3.54	17.94
योग	**-**	**3.54**		**-**	**-**	**-**		**-**	**3.54**	**17.94**
विगत वर्ष	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 9. Capital work in progress

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Consultancy	2,055.48
Employee Cost	651.38
Expenditure Pending Allocation (Net)	727.71
Bridges and Retaining Walls	2,278.88
Corporate Office Building	557.34
Elevated Viaduct	573.01
Utility Shifiting	391.50
Total	**7,235.29**

Note: 10. Long-term loans and advances

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Security deposits	
Unsecured, considered good	35.81
(b) Loans and advances to employees	
Secured, considered good	11.66
Total	**47.47**

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 9: चालू पंजीगत कार्य

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
कन्सल्टेंसी	2,055.48
कर्मचारी लागत	651.38
आवंटन होने तक व्यय (निवल)	727.71
सेतु तथा पुश्ता दीवार	2,278.88
कॉर्पोरेट कार्यालय भवन	557.34
एलिवेटेड वायडक्ट	573.01
यूटिलिटी शिफ्टिंग	391.50
योग	**7,235.29**

नोट 10: दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क) प्रतिभूति जमा	
अप्रतिभूत, उपयुक्त समझा गया	35.81
(ख) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	
प्रतिभूत, उपयुक्त समझा गया	11.66
योग	**47.47**

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 11. Other non-current assets

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Deposit with Sales Tax Department	0.25
Interest Receivable on Advance given to Employees	0.18
Total	**0.43**

Note: 12. Cash and cash equivalents

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Cash on hand (Imprest A/c)	0.80
(b) Balances with banks	
(i) In current accounts	9,166.72
(ii) In deposit accounts *	2,737.00
Total	**11,904.52**

* Includes Rs. 648 Lakhs as unutilised equity contribution

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 11: अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
बिक्री कर विभाग के पास जमा राशि	0.25
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.18
योग	**0.43**

नोट 12: नकदी एवं नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क) हाथ रोकड़ (पेशगी खाता)	0.80
(ख) बैंकों के पास शेष	
(i) चालू खातों में	9,166.72
(ii) जमा खातों में*	2,737.00
योग	**11,904.52**

*इसमें अप्रयुक्त इक्विटी अंशदान के रूप में रु. 648 लाख शामिल है

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 13. Short-term loans and advances

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Loans and advances to related parties	
Unsecured, considered good *	0.42
(b) Loans and advances to employees	
Unsecured, considered good	2.06
(c) Balances with government authorities	
Unsecured, considered good	
(i) Advance Income Tax	39.03
(ii) Tax Deducted at Source	20.25
(d) Others	
Unsecured, considered good	
(i) Mobilization Advance	1,351.37
(ii) Advance to Nagpur Municipal Corporation	55.00
Total	**1,468.14**

* Tour Advance given to Directors

Note: 14. Other current assets

Particulars	As at 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Accruals	
(i) Interest accrued on deposits	225.87
(ii) Interest on Advance Recoverable from contractors	33.27
(b) Others	
a. Caution money recoverable	0.20
b. Royalty recoverable	200.00
c. Other current assets	3.29
Total	**462.62**

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 13: अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क) संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम	
अप्रतिभूत, उपयुक्त समझा गया*	0.42
(ख) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	
अप्रतिभूत, उपयुक्त पाया गया	2.06
(ग) सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	
अप्रतिभूत, उपयुक्त पाया गया	
(i) अग्रिम आयकर	39.03
(ii) स्रोत पर कर कटौती	20.25
(घ) अन्य	
अप्रतिभूत, उपयुक्त पाया गया	
(i) अग्रिम संग्रहण	1,351,37
(ii) नागपुर नगर निगम को अग्रिम	55.00
योग	**1,468.14**

*निदेशकों को प्रदत्त दौरा अग्रिम

नोट 14: अन्य चालू परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क) संग्रहण	
(i) जमा पर उपार्जित ब्याज	225.87
(ii) संविदाकारों से वसूलनीय अग्रिम पर ब्याज	33.27
(ख) अन्य	
क. वसूलनीय अवधान राशि	0.20
ख. वसूलनीय स्वत्व शुल्क	200.00
ग. अन्य चालू परिसंपत्ति	3.29
योग	**462.62**

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 15. Other income

Particulars	For the year ended 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
(a) Interest on Fixed Deposit	271.98
(b) Other non-operating income	2.88
(c) HBA Interest	0.18
Total	**275.04**

Note: 16. Employees benefit expenses

Particulars	For the year ended 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Salaries, Wages and Allowances	598.31
Staff Welfare Expenses	6.94
Gratuity	3.52
Leave Encashment	31.81
Contribution to Provident Fund & Pension Scheme (incl administration fees)	10.80
Total	**651.38**
Less : Transferred to Captial Work in Progress	**651.38**
Transferred to Profit & Loss Account	-

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 15: अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
(क.) मियादी जमा पर ब्याज	271.98
(ख.) अन्य गैर परिचालन आय	2.88
(ग.) एच बी ए ब्याज	0.18
योग	**275.04**

नोट 16: कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	598.31
कर्मचारी कल्याणकारी व्यय	6.94
उपदान	3.52
अवकाश नकदीकरण	31.81
भविष्य निधि एवं पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासन शुल्कों सहित)	10.80
योग	**651.38**
घटा: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को अंतरित	**651.38**
लाभ और हानि लेखे को अंतरित	-

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 17. Other expenses

Particulars		For the year ended 31 March, 2016 Amount (Rs. in Lakh)
Rent including lease rentals		11.75
Repairs and maintenance		28.41
Rates and taxes		0.05
Printing and stationery		15.58
Legal and professional		45.36
Programe, Function & Meeting Expenses		15.77
Office Expenses		14.12
Security Expenses		19.26
Exibition & Sponsorship Expenses		25.79
Gardern & Landscaping Expenses		11.55
Expenses on Guest House		12.77
Internet Charges		3.72
Petrol & Conveyance Expenses		6.43
Refreshment Exp.		3.77
Miscellaneous expenses		42.74
Interest On TDS		1.83
Interest on Service Tax (Reverse Charge Mechanism)		1.44
Int on Profession Tax		0.00
Int on Works Contract Tax		0.53
Audit Fees:		
Internal Audit	17.50	
Statutory Audit	4.60	22.10
Total		**282.97**

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 17: अन्य व्यय

विवरण		31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार धनराशि (रुपए लाख में)
पट्टे पर लेने की रकम सहित किराया		11.75
मरम्मत एवं रखरखाव		28.41
दर एवं कर		0.05
मुद्रण एवं स्टेशनरी		15.58
विधिक एवं व्यावसायिक		45.36
कार्यक्रम, समारोह एवं बैठक संबंधी व्यय		15.77
कार्यालयी व्यय		14.12
प्रतिभूति व्यय		19.26
प्रदर्शनी एवं प्रायोजन व्यय		25.79
बाग-बगीचा एवं भूदृश्य निर्माण व्यय		11.55
अतिथिगृह पर व्यय		12.77
इंटरनेट प्रभार		3.72
पेट्रोल एवं वाहन व्यय		6.43
अल्पाहार पर व्यय		3.77
नानाविध व्यय		42.74
टी डी एस पर ब्याज		1.83
सेवा कर पर ब्याज (रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म)		1.44
व्यवसाय कर पर ब्याज		0.00
निर्माण कार्य संविदा कर पर ब्याज		0.53
लेखापरीक्षा शुल्क:		
आंतरिक लेखापरीक्षा	17.50	
सांविधिक लेखापरीक्षा	4.60	22.10
योग		**282.97**

Note: 18. Significant accounting policies

Nagpur Metro Rail Corporation Limited (NMRCL) is incorporated under the Companies Act, 2013 and is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. The Company was set up as a Joint venture between Government of India (GOI) and Government of Maharashtra (GOM), with equal equity shareholding i.e. 50:50 ratios, to implement the Metro Rail Project in Nagpur city.

a. Basis of Accounting and preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards notified under Section 133 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, and other relevant provisions of the Companies Act, 2013. The said financial statements comply with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and as notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost basis. All expenditure directly attributable to the cost of the project is capitalized.

b. Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the management to make some estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. Some of the estimations require higher degrees of judgment to be applied than others. Management continually evaluates all of its estimates and judgments based on available information and its experience and believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results may differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

c. Revenue Recognition

i. Interest on deposits is recognized on time proportion basis taking into account the outstanding amount and the rate applicable.

ii. Other non-operating incomes are recognized on receipt basis.

d. Fixed Assets (Tangible / Intangible)

Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment, if any. The cost of fixed asset comprises its purchase price, including any import duties and other taxes net of recoverable taxes and any directly attributable expenditure and other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date of put to use and net of any trade discounts and rebates.

Assets under construction as at balance sheet date are shown as Capital Work in Progress (CWIP). Expenditure directly related to construction activity has been capitalized. Expenditure attributable to the various components of the project is accounted as CWIP under respective heads. Common expenses which are directly related to the construction activities, but attributable to more than one component of the

नोट 18: महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निगमीकृत है और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अभिप्राय के अंतर्गत सरकारी कंपनी है। यह कंपनी नागपुर नगर में मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की गई है जहां उनकी इक्विटी अंशधारिता बराबर अर्थात् 50:50 अनुपात में है।

क. लेखाकरण तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानदण्डों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन करने के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (भारतीय जी ए ए पी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। उक्त वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा कंपनी (लेखाकरण मानदण्ड) नियमों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित संगत उपबंधों का पालन किया जाता है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार के अंतर्गत संग्रहण के आधार पर तैयार किए गए है। परियोजना की लागत पर प्रत्यक्षतया आरोप्य सभी व्यय पूंजीकृत हैं।

ख. प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जी ए ए पी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसंपत्ति तथा दायिताओं (आकस्मिक दायिताओं सहित) की सूचित धनराशि तथा सूचित आय एवं व्यय में कुछ प्राक्कलन एवं अनुमान करने की आवश्यकता होती है। कुछ आकलनों में अन्यों की अपेक्षा अधिक समझ का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध सूचना एवं अपने अनुभव के आधार पर अपने सभी प्राक्कलनों एवं समझदारी का निरंतर मूल्यांकन करता है और विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं प्राक्कलनों के बीच अंतरों को उन अवधियों में अभिज्ञात किया जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/मूर्त रूप दिए गए होते हैं।

ग. राजस्व अभिज्ञात

i. जमा पर ब्याज को बकाये राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपात आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

ii. अन्य गैर-परिचालन आय को पावती आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

घ. अचल परिसंपत्ति (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्ति का उल्लेख ऐतिहासिक लागत घटा संचित मूल्यह्रास एवं हानिकरण यदि कोई हो पर किया जाता है। अचल परिसंपत्ति में इसकी क्रय की कीमत निहित होती है जिसमें कोई आयात शुल्क तथा अन्य कर, वसूलनीय करों का निवल और कोई प्रत्यक्षतया आरोप्य व्यय तथा अन्य आनुषंगिक व्यय और इस्तेमाल में लाए जाने की तारीख तक अर्हकारी अचल परिसंपत्ति के अर्जन पर आरोप्य ऋणों पर ब्याज तथा किसी व्यापारिक रियायत तथा छूट के निवल शामिल होते हैं।

तुलन पत्र की तारीख को निर्माणाधीन परिसंपत्ति को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सी डब्ल्यू आई जी) के रूप में दर्शाया जाता है। निर्माण कार्यकलाप से सीधे तौर पर संबद्ध व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों पर आरोप्य व्यय को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत सी डब्ल्यू आई पी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। सामान्य व्यय जो निर्माण कार्यकलापों से सीधे तौर पर संबंधित होते है किन्तु निर्माण कार्य के एक से अधिक घटक पर आरोप्य होते हैं, को सी डब्ल्यू आई पी के तहत ' आवंटन होने तक व्यय (एनआईटी)' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें समापन पर विभिन्न परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाना होता है।

works are grouped under CWIP as "Expenditure Pending Allocation (Net)", to be allocated to various assets on completion.

Interest earned on short-term deposits attributable to the subordinate debt and equity is charged off to Profit and Loss Account. Interest earned on Pass Through Assistance (PTA) against KfW Loan and advance provided to project contractors is reduced from CWIP. Work in progress is booked based on the expenditure statement and management certificate.

e. Land

The value of land handed over for construction, which belongs to various government bodies and departments has not been capitalized since the amount payable and other terms are yet to be finalized. The cost of acquisition of structures less sale proceeds of such structures demolished is charged to the cost of land.

f. Impairment of Assets

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognized. The impairment loss (if any) recognized is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

g. Depreciation and Amortization

1. Depreciation on tangible assets of the Company has been provided on the Straight Line method as per useful life prescribed in Schedule-II of Companies Act, 2013 on pro rata basis on the assets purchased during the year, for the period the assets are used.
2. Individual assets costing less than Rs. 5000 are charged to revenue at the time of purchase.
3. Intangible assets are amortized over their useful life or five years whichever is lower. The estimated useful life of the intangible assets and the amortization period are reviewed at the end of each financial year and amortization methodology is revised to reflect the changed pattern.
4. Leasehold Assets (if any) except land are amortised over the lease term or its useful life (as per Companies Act, 2013) whichever is shorter.
5. Expenditure on the items, ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

h. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

A contingent liability is recognized when a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events beyond the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are disclosed in notes to accounts. Contingent asset are not recognized in the financial statement.

गौण ऋण एवं इक्विटी पर आरोप्य अल्पकालिक जमा पर उपार्जित व्याज को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। के एफ डब्ल्यू ऋण पर पास थ्रू एसिस्टैंश (पी टी ए) पर उर्पार्जित ब्याज तथा परियोजना संविदाकारों को प्रदत्त अग्रिम की सी डब्ल्यू आई पी से कटौती की जाती है। प्रगतिशील कार्य को व्यय विवरण तथा प्रबंधन प्रमाणपत्र के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ड़. भूमि

निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि जो विभिन्न सरकारी निकायों तथा विभागों की है, के मूल्य का अभी पूंजीकरण नहीं किया गया हैं क्योंकि देय धनराशि तथा अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। संरचनाओं के अर्जन की लागत घटा ऐसी विध्वंस की गई संरचनाओं की बिक्री आय को भूमि की लागत पर प्रभारित किया जाता है।

च. परिसंपत्ति का हानिकरण

परिसंपत्ति में ढुलाई मूल्यों की प्रत्येक तुलन पत्र पर हानिकरण हेतु समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे हानिकरण का कोई संकेत होता है तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूलनीय धनराशि का आकलन किया जाता है और हानिकरण अभिज्ञात किया जाता है। अभिज्ञात हानिकरण नुकसान (यदि कोई हो) को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्त के रूप में पहचान की जाती है।

छ. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

१. कंपनी की मूर्त परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास का उस अवधि के लिए जब परिसंपत्ति प्रयुक्त की जाती है, खरीद की गई परिसंपत्ति पर समानुपातिक आधार पर कंपनी अधिनियम २०१३ की अनुसूची-II में विहित उपयोग जीवन के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि पर प्रावधान किया गया है।

2. 5000 रु से कम की लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्ति को राजस्व पर खरीद के समय प्रभारित किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्ति का उनके उपयोगी जीवन अथवा पांच वर्षों के लिए इनमें से जो भी कम हो, परिशोधन किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन तथा परिशोधन अवधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है तथा परिवर्तित स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए परिशोधन की कार्यप्रणाली को संशोधित किया जाता है।

4. भूमि को छोड़कर पट्टेवाली परिसंपत्ति (यदि कोई हो) को पट्टे की अवधि अथवा उसके उपयोगी जीवन (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार) इनमें से जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।

5. मदों जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, पर व्यय को ऐसे व्यय होने वाले वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

ज. प्रावधान, आकस्मिक दायितांए तथा आकस्मिक परिसंपत्ति

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब कंपनी की विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है और यह संभावित है कि बाध्यता का निपटाना करने के लिए संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित होगा जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है। एक आकस्मिक दायिता को तब स्वीकार किया जाता है जब विगत घटनाओं से संभावित बाध्यता उत्पन्न होती है जिनके अस्तित्व की संपुष्टि कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने अथवा न होने से की जाती है अथवा जब वर्तमान बाध्यता को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि यह संभावित नहीं होता है कि संसाधनों का प्रवाह बाध्यता का निपटान करने के लिए अपेक्षित होगा। आकस्मिक दायिताएं लेखों के नोट में प्रकट किए जाते हैं। आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में अभिज्ञात नहीं किया जाता है।

i. Taxes on Income

Current tax is the tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Deferred tax is recognized on timing differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets in respect of unabsorbed depreciation and carry forward of losses are recognized, if there is virtual certainty that there will be sufficient future taxable income available to realize such losses. Other deferred tax assets are recognized if there is reasonable certainty that there will be sufficient future taxable income to realize such assets. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date for their realisability.

j. Foreign exchange transaction / translations

Transactions in foreign currency entered into by the Company are accounted at the exchange rate prevailing on the date of the transactions. Monetary items denominated in foreign currencies are translated at exchange rates as at the reporting date. Foreign exchange difference arising in respect of monetary item relating to acquisition of fixed assets are adjusted to the carrying cost of related fixed assets/capital work in progress prior to capitalization. Other exchange differences are recognized as income or expense in the period in which they arise.

k. Employee benefits

i. Provident Fund : The eligible employees of the Company are entitled to receive benefits under provident fund schemes in which both employees and the Company make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary. The contributions are paid to the account of Regional Provident Fund Commissioner.

ii. Gratuity : Provision towards Gratuity is provided for the eligible employees as per LIC Valuation.

iii. Earned and half-pay Leave : The Company provides earned leave benefits and half pay leave to the employees. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

l. Borrowing cost

Borrowing costs include interest; amortization of ancillary costs incurred and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. Costs in connection with the borrowing of funds to the extent not directly related to the acquisition of qualifying assets are charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the loan. Borrowing costs, allocated to and utilized for qualifying assets, pertaining to the period from commencement of activities relating to construction / development of the qualifying asset upto the date of capitalization of such asset are added to the cost of the assets.

m. Segment reporting

The Company has only one reportable business segment, which is developing, running and maintaining of Nagpur metro rail system. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the Company's single business segment.

n. Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS)-3 on 'Cash Flow Statements'.

झ. आय पर कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार यथानिर्धारित वर्ष के लिए करयोग्य आय पर देय कर है। आस्थगित कर एक ही अवधि में कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच होने वाले समयावधिक अन्तरों पर अभिज्ञात किया जाता है और ये एक अथवा उत्तरवर्ती अवधियों में उत्क्रमण के लिए सक्षम हैं। गैर-आमेलित मूल्यह्रास तथा हानियों के अग्रसारण के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति का अभिज्ञात किया जाता है यदि वास्तविक निश्चितता है कि ऐसी हानियों को वसूलने के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्ति की समीक्षा उनकी वसूलनीयता के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर की जाती है।

ञ. विदेशी मुद्रा संव्यवहार/रूपान्तरण

कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों का लेखा संव्यवहारों की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में नामनिर्दिष्ट मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तारीख को विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है। अचल परिसंपत्ति के अर्जन से संबंधित मौद्रिक मद के बारे में उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा संबंधी अंतर को पूंजीकरण से पूर्व संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की निहित लागत के साथ समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय संबंधी भिन्नताओं को उस अवधि जिसमें वे उत्पन्न होते हैं में आय अथवा व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

ट. कर्मचारी लाभ

i. भविष्य निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी उन भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार होते है जिनमें कर्मचारी एवं कंपनी, दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर मासिक अंशदान करते हैं। ये अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के लेखे में दिए जाते हैं।

ii. उपदान: उपदान के लिए प्रावधान भारतीय जीवन बीमा के मूल्यन के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

iii. अर्जित एवं अर्धवेतन अवकाश: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश प्रदान करती है। इस लेखे से संबंधित दायिता को बीमाकिंक मूल्यन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

ठ. ऋण संबंधी लागत

ऋण संबंधी लागतों में ब्याज, उपगत अनुषंगी लागतों का परिशोधन तथा विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय संबंधी अन्तर इस सीमा तक शामिल होते है कि उन्हें ब्याज की लागत के समायोजन के रूप में समझा जाता हो। निधियों को उधार लेने के संबंध में वे लागतें जो विशेषक परिसंपत्ति के अर्जन के संबंध में उस सीमा तक प्रत्यक्षतया संबद्ध न हो, उधार की अवधि के लिए लाभ तथा हानि विवरण पर प्रभारित होती हैं। परिसंपत्ति के विशेषक निर्माण/विकास से संबंधित कार्यकलापों की शुरूआत से ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक संबंधित विशेषक परिसंपत्ति के लिए आवंटित और प्रयुक्त ऋण संबंधी लागतें परिसंपत्ति की लागत में जोड़ी जाती हैं।

ड. खंड प्रतिवेदन

कंपनी के पास केवल एक प्रतिवेदनीय व्यवसाय खंड है जो नागपुर मेट्रो रेल प्रणाली को विकसित, संचालित तथा अनुरक्षित कर रहा है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित धनराशि कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित है।

ढ. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण को नकद प्रवाह विवरणों में लेखाकरण मानदण्ड (ए एस) - 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note: 19. Notes to financial statement

1. **Contingent Liabilities**
Some landowners have filed suit against company, liabilities, if any, in respect of these cases pending with courts shall be provided after completion of legal proceedings.

2. **Capital Commitment**
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account as on 31-Mar-2016 and not provided for is as follows:

Particulars		Rs. in Lakhs
Estimated Amount of Contracts		37441.31
	Total	**37441.31**

3. **Payment to the Statutory Auditors**

Particulars		Rs. in Lakhs
Audit Fees		4.00
Tax Audit Fees		NIL
Certification Fees		NIL
Reimbursements :		
- Travelling Expenses		NIL
- Service Tax		0.60
	Total	**4.60**

4. **Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013 :**

Particulars	Rs. in Lakhs
A. Value of imports calculated on CIF basis:	
(i) Raw Material	NIL
(ii) Stores & Spares	NIL
(iii) Capital Goods	NIL
B. Expenditure in Foreign currency on:	
(i) Professional and Consultancy fee	NIL
(ii) Tours and Travels	15.88
(iii) Contracts	NIL
(iv) Others	NIL
C. Earnings in Foreign Exchange:	
(i) Consultancy	NIL
(ii) Interest	NIL
(iii) Others	NIL
D. Value of Components, spare parts & store consumed:	
(i) Imported	NIL
(ii) Indigenous	NIL

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरण के भाग बनने वाले नोट

नोट 19: वित्तीय विवरण के नोट

1. **आकस्मिक दायिताएं**
कुछ भूस्वामियों ने कंपनी के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया है, न्यायालयों के पास लंबित इन मामलों के संबंध में दायिताएं, यदि कोई हो, विधिक कार्यवाहियों के समापन के बाद प्रदान की जाएंगी।

2. **पूंजीगत प्रतिबद्धता**
31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार पूंजीगत लेखे पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित धन राशि तथा जिसका इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था, निम्नवत है:-

विवरण		रु लाख में
संविदाओं की अनुमानित धनराशि		37441.31
	योग	**37441.31**

3. **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान**

विवरण		रु लाख में
लेखापरीक्षा शुल्क		4.00
कर लेखापरीखा शुल्क		शून्य
प्रमाणन शुल्क		शून्य
प्रतिपूर्तियां:		
- यात्रा व्यय		शून्य
- सेवा कर		0.60
	योग	**4.60**

4. **कंपनी 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना:**

विवरण	रु लाख में
क. सी आई एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य	
(i) कच्ची सामग्री	शून्य
(ii) भंडार एवं कलपुर्जे	शून्य
(iii) पूंजीगत सामान	शून्य
ख. विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित पर व्यय:	
(i) व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	शून्य
(ii) दौरे एवं यात्राएं	15.88
(iii) संविदाएं	शून्य
(iv) अन्य	शून्य
ग. विदेशी मुद्रा में अर्जन	
(i) परामर्श	शून्य
(ii) ब्याज	शून्य
(iii) अन्य	शून्य
घ. प्रयुक्त घटकों कल-पुरजों तथा भंडार का मूल्य	
(i) आयातित	शून्य
(ii) स्वदेशी	शून्य

5. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31-Mar-2016

Particulars	Rs. in Lakhs
A. Amount remaining unpaid to any supplier :	
(i) Principal Amount	NIL
(ii) Interest due thereon	NIL
B. Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day:	NIL
C. Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	NIL
D. Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL
E. Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of Micro, Small and Medium Entrerprises Development Act, 2006.	NIL

6. Disclosure in respect of Accounting Standard (AS) - 15 (Revised) "Employee Benefits"

General description of various defined employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund :

The company's Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rate. The liability is recognised on accrual basis.

b) Gratuity :

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continues service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay Plus dearness pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company and the liability is recognized on the basis of contribution payable to the insurer, i.e., the Life Insurance Corporation, however, the disclosure of information as required under AS-15(Revised) have been made in accordance with the actuarial valuation.

As per actuarial valuation company's best estimates for FY 18-Feb-2015 to 31-Mar-2016 towards the Gratuity Fund Contribution is Rs. 3.53 Lakhs. However, the company is making contribution to the fund as per the demand made by Life Insurance Corporation of India.

c) Leave :

The company provides for earned leave benefits and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The leave is encashable once in a calendar year while in service and a maximum of 300 days on superannuation.

5. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

विवरण	रु लाख में
क. किसी आपूर्तिकर्ता को असंदत्त रह गई धनराशि	
(i) मूल धन	शून्य
(ii) उस पर देय ब्याज	शून्य
ख. नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को संदत्त धनराशि के साथ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसरण में संदत्त ब्याज की धनराशि	शून्य
ग. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं संदेय ब्याज की धनराशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है किन्तु नियत दिन के बाद) किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बगैर	शून्य
घ. उपार्जित तथा असंदत्त ब्याज की धनराशि	शून्य
ङ शेष बची तथा उत्तरवर्ती वर्षों में भी उस तारीख तक संदेय ब्याज की अतिरिक्त राशि, जब उपर्युक्त देय ब्याज का सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत एक कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है।	शून्य

6. लेखाकरण मानदण्ड (ए एस) - 15 (संशोधित) "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में नियत अंशदान देती है। दायिता को संग्रहण आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

ख) उपदान:

कंपनी की सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्षों या अधिक की निरंतर सेवा की है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी तथा अशक्तता अथवा मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन +महंगाई वेतन +महंगाई भत्ता) उपदान पाने का हकदार है। इस प्रयोजनार्थ एक न्यास गठित किया गया है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और दायिता को बीमाकर्ता अर्थात जीवन बीमा निगम को देय अंशदान के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है, हालांकि, ए एस-15 (संशोधित) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यन के अनुसार किया गया है।

बीमांकिक मूल्यन के अनुसार वित्तीय वर्ष 18 फरवरी - 2015 से 31 मार्च 2016 तक उपदान निधि में अंशदान के लिए कंपनी का सर्वात्तम अनुमान 3.53 लाख रु है। तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

ग) अवकाश:

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के लाभ तथा अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन उपार्जित होते हैं। इस अवकाश का सेवाकाल में एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार तथा अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जा सकता है।

The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation. In respect of deputationists employees, Leave salary contribution is payable to their parent departments.

The summarised position of various defined benefits as reflected in the acturial valuation report is as under :

Rs. in Lakhs

PARTICULARS	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT	HALF PAY LEAVE ENCASHMENT
Table I: Assumptions			
Discount Rate	7.60% p.a.	7.60% p.a.	7.60% p.a.
Rate of increase in Compensation levels	6% p.a.	6% p.a.	6% p.a.
Rate of Return on Plan Assets	NA	NA	NA
Expected Future Service	25.00 Years	25.00 Years	25.00 Years
Table II: Change in Present Value of Obligations			
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	0.00	0.00	0.00
Acquisition adjustment	0.00	0.00	0.00
Interest Cost	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost	0.00	16.40	7.55
Current Service Cost	3.53	6.06	2.00
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	0.00	0.00	0.00
Actuarial (gain)/ loss on obligations	0.00	0.00	0.00
Present Value of Obligation as at the end of the year	3.53	22.46	9.56
Table III: Change in Fair Value of Plan Assets			
Fair value of plan asset at the beginning of year	0.00	0.00	0.00
Acquisition Adjustments	0.00	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	0.00	0.00	0.00
Employers' Contributions	0.00	0.00	0.00
Benefit Paid	0.00	0.00	0.00
Actuarial Gain /(loss) on Plan Assets	0.00	0.00	0.00
Fair value of plan assets at the end of year	0.00	0.00	0.00
Table IV: Fair Value of Plan Assets			
Fair value of plan asset at the beginning of year	0.00	0.00	0.00
Acquisition Adjustments	0.00	0.00	0.00
Actual return on plan assets	0.00	0.00	0.00
Employers' Contributions	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	0.00	0.00	0.00
Fair value of plan assets at the end of year	0.00	0.00	0.00
Funded Status	(3.53)	(22.46)	(9.56)
Excess of actual over estimated return on plan assets	0.00	0.00	0.00

इस लेखे से संबंधित दायिता को प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। अवकाश वेतन संबंधी अंशदान मूल विभागों को देय होता है।

बीमांकिक मूल्यन रिपोर्ट में यथा प्रदर्शित विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:-

रु लाख में

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	अर्धवेतन अवकाश नकदीकरण
तलिका I: पूर्वानुमान			
रियायत दर	7.60% प्रतिवर्ष	7.60% प्रतिवर्ष	7.60% प्रतिवर्ष
मुआवजा स्तरों में वृद्धि की दर	6% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल की दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रत्याशित भावी सेवा	25.00 वर्ष	25.00 वर्ष	25.00 वर्ष
तलिका II: बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	0.00	0.00	0.00
अर्जन समायोजन	0.00	0.00	0.00
ब्याज की लागत	0.00	0.00	0.00
पूर्व सेवा लागत	0.00	16.40	7.55
चालू सेवा लागत	3.53	6.06	2.00
न्यूनीकरण लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00	0.00
समाधान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00	0.00
संदत्त लाभ	0.00	0.00	0.00
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3.53	22.46	9.56
तालिका III: योजनागत परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन			
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00
अर्जन समायोजन	0.00	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	0.00	0.00	0.00
नियोजक का अंशदान	0.00	0.00	0.00
संदत्त लाभ	0.00	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्ति पर बीमांकिक लाभ (हानि)	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00
तालिका IV: योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य			
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00
अर्जन समायोजन	0.00	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्ति पर बीमांकिक प्रतिफल	0.00	0.00	0.00
नियोजक का अंशदान	0.00	0.00	0.00
संदत्त लाभ	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00
वित्तपोषण की स्थिति	(3.53)	(22.46)	(9.56)
योजनागत परिसंपत्ति पर अनुमानित प्रतिफल के मुकाबले वास्तविक प्रतिफल का अधिशेष	0.00	0.00	0.00

Table V: Actuarial Gain/Loss Recognised			
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	NA	NA	NA
Actuarial (gain)/loss for the year - Plan Assets	NA	NA	NA
Total (gain) / loss for the year	NA	NA	NA
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	NA	NA	NA
Unrecognized actuarial (gains) / losses at the end of the year	NA	NA	NA
Table VI: The amount to be recognized in Balance Sheet and Statements of Profit and Loss			
Present Value of Obligation as at the end of the year	3.53	22.46	9.56
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	0.00	0.00	0.00
Funded Status	(3.53)	(22.46)	(9.56)
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	0.00	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	(3.53)	(22.46)	(9.56)
Table VII: Expense Recognized in Statement of Profit and Loss			
Current Service Cost	3.53	6.06	2.00
Past Service Cost	0.00	16.40	7.55
Interest Cost	0.00	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	0.00	0.00	0.00
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	0.00	0.00	0.00
Expenses Recognized in the statement of Profit & Loss	3.53	22.46	9.56

7. Disclosure in respect of Accounting Standard (AS) - 18 "Related Parties Disclosure"

KEY MANAGEMENT PERSONS

1) SHRI. BRIJESH DIXIT, MANAGING DIRECTOR
2) SHRI. MAHESH KUMAR, DIRECTOR (PROJECTS)
3) SHRI. SUNIL MATHUR, DIRECTOR (DRSS)

Disclosure of transactions of the company with related parties:

Particulars	Rs. in Lakhs
Salaries & Allowances	33.81
Contribution to Provident Fund	0.61
Other Benefits	4.67

In addition to the above remuneration:

I. The whole time Directors have been allowed to use the staff car (including for private journeys) subject to recovery as per the company's rules

तालिका V: अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/हानि			
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/हानि - बाध्यता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/हानि - योजनागत परिसंपत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के लिए कुल (लाभ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष में अभिज्ञात बीमांकिक (लाभ/हानि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के अंत में गैर-अभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तालिका VI: लाभ और हानि के तुलन पत्र तथा विवरणों में अभिज्ञात की जाने वाली धनराशि			
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3.53	22.46	9.56
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00
वित्तपोषण की स्थिति	(3.53)	(22.46)	(9.56)
गैर-अभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात निवल परिसंपत्ति/(दायिता)	(3.53)	(22.46)	(9.56)
तालिका VII: लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात व्यय			
चालू सेवा लागत	3.53	6.06	2.00
पूर्व सेवा लागत	0.00	16.40	7.55
ब्याज लागत	0.00	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	0.00	0.00	0.00
न्यूनीकरण लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00	0.00
समाधान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00	0.00
वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	3.53	22.46	9.56

7. लेखाकरण मानदण्ड (ए एस) - 18 "संबंधित पत्रों का प्रकटीकरण"के संबंध में प्रकटीकरण
मुख्य प्रबंधन व्यक्ति

1) श्री. बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक
2) श्री. महेश कुमार, निदेशक (परियोजना)
3) श्री. सुनिल माथुर, निदेशक (डी आर एस एस)

संबंधित पत्रों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का प्रकटीकरण

विवरण	रु लाख में
वेतन एवं भत्ते	33.81
भविष्य निधि में अंशदान	0.61
अन्य लाभ	4.67

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त

I. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार वसूली के अध्यधीन स्टाफ कार का प्रयोग करने (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।

8. Disclosure in respect of Accounting Standard (AS) - 19 "Leases"

The Company has taken on lease/rent premises for employees. These lease arrangements are usually renewable on mutually agreed terms. During the year the company has paid lease rent amounting to Rs. 44.51 Lakhs and included under the head Expenditure - Salaries & Wages

9. Disclosure in respect of Accounting Standard (AS) - 20 "Earning Per Share"

Particulars	Rs. in Lakhs
Profit after taxation, prior period adjustments & tax Adjustments for the earlier years as per Statement of Profit & Loss (Rs. in Lakhs)	-59.00
Weighted average number of equity shares outstanding:-	
Basic	10475405
Diluted	49024447
Basic Earning Per Share (Rs.)	-0.56
(Face value of Rs. 10/- per share)	
Diluted Earning Per Share (Rs.)	-0.56
(Face value of Rs. 10/- per share)	

10. Disclosure in respect of Accounting Standard (AS)-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Particulars	Rs. in Lakhs
Provision for Expenses	10.54
Provision for Employees Benefit	35.79
Provision for Acquisition of Fixed Assets	49567.69

11. Figures have been rounded to the nearest Lakhs of Rupees

For S.R. Narke and Associates
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/
Nitin Narke
Partner
Mem No: 128064
Place : Nagpur
Date : 21-Oct-2016

Sd/
S. Sivamathan
Director (Finance)

Sd/
Brijesh Dixit
Managing Director

8. लेखाकरण मानदण्ड (ए एस) - 19 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए परिसरों को पट्टे/किराये पर लिया है। ये पट्टे संबंधी व्यवस्थाएं पारस्परिक रूप से सहमतिजन्य शर्तों पर प्राय: नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 44.51 लाख रु किराये/पट्टे के लिए दिया है तथा ये व्यय-वेतन एवं मजदूरी शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

9. लेखाकन मानदण्ड (ए एस) - 20 "प्रति शेयर अर्जन" के संबंध में प्रकटीकरण

विवरण	रु लाख में
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षो के लिए कराधान, पूर्वावधिक समायोजनों तथा कर समायोजनों के बाद लाभ	-59.00
बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:	
मूल	10475405
न्यूनीकृत	49024447
प्रति शेयर मूल अर्जन (रु)	-0.56
(प्रति शेयर अंतिम मूल्य 10 रु)	
प्रति शेयर नयूनीकृत अर्जन (रु)	-0.56
(प्रति शेयर अंतिम मूल्य 10 रु)	

10. लेखाकरण मानदंड (ए एस)-29 "प्रावधान आकस्मिक दयिताएं एवं आकस्मिक" के संबंध में प्रकटीकरण"

विवरण	रु लाख में
व्ययों के लिए प्रावधान	10.54
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	35.79
अचल परिसंपत्ति के अर्जन के लिए प्रावधान	49567.69

11. आंकड़ों को निपटान लाख रुपयों में पूर्णांक बना दिया गया है

कृते एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर न. 106946 डब्ल्यू

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

ह/
नितिन नार्के,
भागीदार
सदस्य सं. 128064
स्थान: नागपुर
तारीख: 21 अक्टूबर 2016

ह/
एस शिवमाथन
निदेशक (वित्त)

ह/
बृजेश दीक्षित
प्रबंध निदेशक

NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2016

Particulars	For the year ended 31 March, 2016	
	Amount (in Rs. Lakh)	Amount (in Rs. Lakh)
A. Cash flow from operating activities		
Net Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	(59.00)	
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation	36.16	
Deffered Tax Liability	14.91	
Operating profit / (loss) before working capital changes		(7.93)
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Short-term loans and advances	(1,468.14)	
Long-term loans and advances	(47.47)	
Other current assets	(462.62)	
Other non-current assets	(0.43)	
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Other current liabilities	1,501.23	
Short-term provisions	10.54	
Long-term provisions	49,603.47	
		49,136.59
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)		**49,128.66**
B. Cash flow from investing activities		
Capital expenditure on fixed assets, including capital advances	(57,691.11)	
		(57,691.11)
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)		**(57,691.11)**
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from issue of equity shares	15,594.00	
Share application money received / (refunded)	648.00	
Proceeds from long-term borrowings	700.00	
Contribution Received from NIT	3,524.97	
		20,466.97
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)		**20,466.97**
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)		**11,904.52**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		-
Cash and cash equivalents at the end of the year (Note No 12)		11,904.52
Explanatory Notes		
Cash & Cash Equivalents include:		
(a) Cash on hand		0.80
(b) Cheques, drafts on hand		
(c) Balances with banks		
(i) In current accounts		9166.72
(d) Others		
(i) In deposit with bank with maturity of more than 3 months		2737.00
	TOTAL	**11904.52**

For S.R. Narke and Associates
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

Sd/
Nitin Narke
Partner
Mem No: 128064
Place : Nagpur
Date : 21-Oct-2016

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/
S. Sivamathan
Director (Finance)

Sd/
Brijesh Dixit
Managing Director

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
	धनराशि (रु लाख में)	धनराशि (रु लाख में)
क. परिचालन कार्य कलापों से नकद प्रवाह		
असाधारण मदों तथा कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(59.00)	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	36.16	
अस्थगित कर दायिता	14.91	
चलती पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ (हानि)		(7.93)
चलती पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/ह्रास के लिए समायोजन		
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(1,468.14)	
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(47.47)	
अन्य चालू दायिताएं	(462.62)	
अन्य गैर-चालू दायिताएं	(0.43)	
परिचालन दायिताओं में वृद्धि/(ह्रास) के लिए समायोजन		
अन्य चालू दायिताएं	1,501.23	
अल्पकालिक प्रावधान	10.54	
दीर्घ कालिक प्रावधान	49,603.47	
		49,136.59
कार्य कलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (क)		**49,128.66**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
पूंजीगत निवेशों सहित अचल परिसंपत्ति पर पूंजीगत व्यय	(57,691.11)	
		(57,691.11)
निवेश कार्यकलापों स/ (में प्रयुक्त) विल नकद प्रवाह (ख)		**(57,691.11)**
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
इक्विटी शेयरों के निर्गमन से आगम	15,594.00	
प्राप्त/(वापसी किए गए) शेयर आवेदन धनराशि	648.00	
दीर्घकालिक उधारों से आगम	700.00	
एन आई टी से प्राप्त अंशदान	3,524.97	
		20,466.97
वित्त पोषण कार्यकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह (ग)		**20,466.97**
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में विल वृद्धि (ह्रास) (क+ख+ग)		**11,904.52**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		-
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट सं. 12)		11,904.52
व्याख्यात्मक नोट :		
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल हैं:		
(क) हाथ रोकड़		0.80
(ख) हाथ में चेक, ड्राफ्ट		
(ग) बैकों के पास शेष		
(i) चालू खातों में		9166.72
(घ) अन्य		
(i) 3 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ बैंक के पास जमा में		2737.00
	योग	**11,904.52**

कृते एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर न. 106946 डब्ल्यू
ह/
नितिन नार्के,
भागीदार
सदस्य सं. 128064
स्थान: नागपुर
तारीख: 21 अक्टूबर 2016

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

ह/
एस शिवमाथन
निदेशक (वित्त)

ह/
बृजेश दीक्षित
प्रबंध निदेशक

S. R. NARKE AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

'Jai Guru', Rahate Colony, Nagpur - 440 022, Phone : 2424660 / 2437260,
Fax : 2443960 E-mail : srnandassociates@gmail.com

Independent Auditor's Report

To,
The Members,
Nagpur Metro Rail Corporation Limited

Report on the Financial Statements
We have audited the financial statements of NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED, which comprise the balance sheet as at 31 March 2016, the statement of profit and loss and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements
The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

एस. आर. नार्के एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

'जय गुरू' रहाते कालोनी नागपुर-440022 फोन: 2424660/2437260,
फैक्स: 2443960 ई-मेल: srnandassociates@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षण रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट
हमने नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन पत्र, तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि तथा नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी
कंपनी के निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेवार है जो कम्पनी (लेखे) नियम 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखाकरण मानदंडों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाहों का वास्तविक एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनकी जिम्मेवारी में कंपनी की परिसंपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने एवं पता लगाने, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाने तथा समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, लागू एवं अनुरक्षित करने जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए संगत लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समुचित लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है जिनसे वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्राप्त होता है और जो भौतिक मिथ्या विवरण जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेवारी
हमारी जिम्मेवारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा के मानदंडों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है। हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानदंडों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानदंडों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा इसे निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक विद्या विवरण से मुक्त है अथवा नहीं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि तथा प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्रियाविधियों का निष्पादन किया जाना निहित होता है। चयनित क्रिया-विधियों क्रियाविधियां वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो अथवा त्रुटिवश, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जिनसे वास्तविक एवं निष्पक्ष चित्र प्राप्त होता है ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी-ऐसी क्रियाविधियाँ तैयार हो सके जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों के औचित्य तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलनों की तर्कसंगति तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी निहित होता है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes to the financial statements:-

1. As per the approved funding plan, Nagpur Improvement Trust (NIT) is to provide grant as a part of the project cost of Nagpur Metro Rail Corporation Limited. Before incorporation of Nagpur Metro Rail Corporation Limited, Nagpur Improvement Trust had spent an amount of Rs.9,07,98,904/- for various expenses related to the proposed Metro Rail work. A document received from NIT under the heading of "Statement showing the Expenditure of Mass rapid transit system / Metro Rail Project' gives details of all such expenses. This includes an amount of Rs. 5,82,98,904/- spent by Nagpur Improvement Trust on expenses such as preparations of plans, reports, travelling expenses etc and an amount of Rs. 3,25,00,000/- which was paid by Nagpur Improvement Trust to the Bank A/c of Nagpur Metro Rail Corporation Limited (proposed).

   The Board of Directors of Nagpur Metro Rail Corporation Limited in their Board meeting held on 13-Mar-2015, have decided that all expenses incurred prior to the appointment of the Managing Director of the Company [including the expenses incurred from the Bank A/c of Nagpur Metro Rail Corporation Limited (proposed)] should be booked by NIT in it's books and those expenditures should not be charged in the books of NMRCL.

   However no confirmation for the above has been obtained by Nagpur Metro Rail Corporation Limited from Nagpur Improvement Trust. Pending confirmation of the transaction from NIT, the consequential financial impact, if any, is not ascertainable at this stage. (Refer Explanatory note no.1 of Note No. 2 'Reserves and surplus')

2. A Bank A/c was opened in the name of 'Nagpur Metro Rail Corporation Limited (proposed)' on 14-Jan-2015 and an amount of Rs. 325.00 Lakhs was received into that Bank A/c on 03-Feb-2015.Out of this amount expenses of Rs. 300.03 Lakhs towards registration and other expenses of NMRCL were spent and the balance in the Bank A/c as on the date of Incorporation of the company was Rs. 24.97 Lakhs. The company has not recognized these pre-incorporation expenses in its Book's. The matter has been referred by the company to the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Pending the receipt of such an opinion, the consequential financial impact, if any, is not ascertainable at this stage. (Refer Explanatory note no.2 of Note No. 2 'Reserves and surplus')

3. The company has fully capitalised expenses such as salaries for all the employees(Under Employee cost) and vehicle hire charges, advertisement expenses, travelling expenses (under 'expenses pending allocation(net))as per note No. 9 'Capital Work in Progress'. As per the guidelines as mentioned in ' A.S.10-Accounting for Fixed Assets', a) only those costs which directly relate to the asset and b) those costs that are attributable to the construction activity in general and can be allocated to that specific asset, can be capitalised.

   The matter has been referred by the company to the Expert advisory committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Pending the receipt of such an opinion, the consequential financial impact, if any, is not ascertainable at this stage. We have currently relied on the judgement of the management in this regard. (Refer Note no.9 'Capital Work in progress')

Other Matter

1. The company has not appointed a full time Company Secretary, Independent Director, Woman

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों से अधिनियम में यथा अपेक्षित जानकारी उसी प्रकार अपेक्षित तरीके से प्राप्त होती है तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2016 के अनुसार कंपनी के कामकाज के संबंध में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाहों का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्राप्त होता है।

मामले का मुख्य बिंदु

हम वित्तीय विवरणों के निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

1. अनुमोदित निधिकरण योजना के अनुसार नागपुर सुधार प्रन्यास (एनआईटी) द्वारा नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना लागत के भाग स्वरूप अनुदान प्रदान किया जाना होता है। नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निगमीकरण से पूर्व नागपुर सुधार प्रन्यास ने प्रस्तावित मेट्रो रेल कार्य के संबंध में विभिन्न व्ययों हेतु 9,07,98,904/- रुपए की धनराशि खर्च की थी। एनआईटी से प्राप्त एक दस्तावेज जिसका शीर्षक व्यापक त्वरित पारगमन प्रणाली मेट्रो रेल परियोजना के व्यय को दर्शाने वाला विवरण था से इसे सभी व्ययों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा विभिन्न व्ययों जैसेकि योजनाओं की तैयारी रिपोर्टों यात्रा व्ययों पर व्ययित 5,82,98,904/- रुपए की राशि तथा 3,25,00,000/- रुपए की धनराशि से शामिल है जिसे नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रस्तावित) को दिया गया था।

   नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 13 मार्च 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से पूर्व उपगत सभी व्ययों (नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रस्तावित) के बैंक खाते से उपगत व्ययों सहित) को एनआईटी द्वारा अपने बही खातों में दर्ज किया जाना चाहिए तथा उन व्ययों को एनएमआरसीएल के बहीखातों में प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए।

   उपर्युक्त के लिए नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर सुधार प्रन्यास से कोई संपुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। एनआईटी से संव्यवहार की संपुष्टि होने तक परिणामी वित्तीय प्रभाव यदि कोई हो का इस चरण में निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट संख्या 2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष के व्याख्यात्मक नोट संख्या 1 का संदर्भ लें)

2. 14 जनवरी 2015 को नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रस्तावित) के नाम से एक बैंक खाता खोला गया था और 13 फरवरी 2015 को 325 लाख रु. की धनराशि उस बैंक खाते में प्राप्त हुई इस धनराशि में से एन एम आर सी एल के पंजीकरण एवं अन्य व्ययों के लिए 300.03 लाख रुपए का व्यय किया गया और कंपनी के निगमीकरण की तारीख को बैंक खाते में शेष 24.97 लाख रुपए थे। कंपनी ने अपने बही खातों में इन निगमीकरण पूर्व व्ययों को स्वीकार नहीं किया है। इस मामले को कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के पास भेज दिया गया है। ऐसी राय की प्राप्ति होने तक परिणामी वित्तीय प्रभाव यदि कोई हो का इस चरण पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट संख्या 2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष के व्याख्यात्मक नोट संख्या 2 का संदर्भ लें)

3. कंपनी ने व्यय का पूर्णतया पूंजीकरण किया गया है जैसेकि सभी कर्मचारियों के लिए वेतन (कर्मचारी लागत के अंतर्गत) तथा वाहन किराया प्रभारों, विज्ञापन खर्चों यात्रा व्ययों (नोट संख्या 9-प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अनुसार आबंटन होने तक व्ययों के अंतर्गत) ए एस-10 चल परिसंपत्ति के लिए लेखाकरण में यथा उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार (क) केवल वैसी लागतो जो परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष तया संबंधित हैं तथा (ख) वैसी लागतो जो सामान्य रुप से निर्माण कार्यकलाप पर आरोप्य है तथा उस विशिष्ट परिसंपत्ति को आवंटित किया जा सकता है, को पूंजीकृत किया जा सकता है।

   इस मामले को कंपनी द्वारा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के पास भेजा गया है। ऐसी राय की प्राप्ति होने तक परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो का इस चरण पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में हमने इस संबंध में प्रबंधन के निर्णय पर भरोसा किया है (नोट सं.9 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के संदर्भ में)

अन्य मामला

1. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव, स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक तथा

Director and Audit Committee as per the provisions of the companies Act, 2013. The leviable penalties for non compliance with the above provisions could be significant. The possible financial impact of the same cannot be ascertained at this point of time.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order.
2. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub-section (5) of section 143 of the Companies Act, 2013, the compliance of which is set out in Annexure –B.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
   b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
   c) The balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
   d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
   e) According to the information and explanation given to us, the company is a government company. Therefore, provision of Section 164(2) of the act is not applicable pursuant to the Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2016 issued by the Government of India.;
   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C"; and
   g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
      (i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Item No. 1 to Note No. 19 to the financial statements;
      (ii) The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
      (iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For S.R. Narke and Associates
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

Sd/
Nitin Narke
Partner
Membership number : 128064

Place : Nagpur
Dated : 21.10.2016

लेखापरीक्षा समिति कंपनी की नियुक्ति नहीं की है। उपर्युक्त उपबंधों का अनुपालन ना किए जाने के लिए आरोप्य शास्तियां अत्यधिक हो सकती हैं। इस समय उसके संभावित वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (II) के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 द्वारा यथा अपेक्षित हम आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में अनुलग्नक-क में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा 5 के अनुसरण में जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं जिनका अनुपालन अनुलग्नक 'ख' में प्रदर्शित किया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम सूचित करते हैं कि:
   (क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
   (ख) हमारी राय में समुचित लेखाबही जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है, कंपनी द्वारा रखी गई है जहां तक उन बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखाबही के अनुरूप है
   (घ) हमारी राय में उपर्युक्त विधि विवरणों में कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।
   (ड) हमें प्रदत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सरकारी कंपनी है। अतः अधिनियम की धारा 164 (1) का उपबंध भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 5 जून 2016 के अनुसरण में लागू नहीं है।
   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता के संबंध में अनुलग्नक-ग में हमारे पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें तथा
   (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे बाजी के प्रभाव को प्रकट किया है-वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 19 की मद सं. 1 का संदर्भ लें।
      (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि हुई थी।
      (iii) कोई ऐसी धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआर सं- 106946 डब्ल्यू

ह/
नितिन नार्के
भागीदार
सदस्यता सं. 128064

स्थान: नागपुर
दिनांक: 21.10.2016

ANNEXURE "A"

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act:

i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets on the basis of available information.

(b) The company has not carried out physical verification of Assets.

(c) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the title deeds of following immovable properties have not been executed in the name of the Company: - (Refer explanatory note No. ii to note no.8)

Location of the Flats	Bhamti (Nagpur)
Gross Block as on 31.03.2016	Rs. 5,33,56,800/-
Depreciation Charged during the year :	Rs. 1,79,620/-
Net Block as on 31.03.2016	Rs. 5,31,77,180/-

ii. As per our examination of the financial statements of the company and on the basis ofthe information and explanations provided to us, the company does not have any inventory as on 31st March 2016. Therefore, paragraph 3(ii) of the Order is not applicable to the Company.

iii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

iv. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, with respect to the loans and investments.

v. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted any deposit from the public within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the companies Act and rules framed there under.

vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, for any of the services rendered by the company.

vii. a. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, amounts deducted/ accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income tax, duty of custom, service tax, cess and other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the company with the appropriate authorities. As explained to us, the company did not have any dues on account of employees state insurance and Excise Duty.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, income tax, duty of customs, service tax cess and other material statutory dues were in arrears as on

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसरण में भारत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षण की रिपोर्ट) पर रिपोर्ट

i. (क) कंपनी ने उपलब्ध सूचना के आधार पर अचल परिसंपत्ति के मात्रात्मक ब्योरों एवं स्थिति सहित पूरा ब्योरा दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया है

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर निम्नलिखित अचल संपत्ति का स्वत्व विलेख कंपनी के नाम से निष्पादित नहीं किया गया है-नोट सं. 8 के व्याख्यात्मक नोट का संदर्भ लें।

फ्लैटों की स्थिति	भामटी (नागपुर)
31.03.2016 के अनुसार सकल ब्लॉक	5,33,56,800/- रु.
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्य ह्रास :	1,79,620/- रू.
31.03.2016 के अनुसार निवल ब्लॉक	5,31,77,180/- रु.

ii. कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी जांच के अनुसार तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर 31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास कोई वस्तु सूची नहीं है। अत; आदेश का पैराग्राफ 3 (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

iii. हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों फर्मों या अन्य पक्षों को कोई ऋण प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत नहीं दिया है।

iv. हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों तथा निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है

v. हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों की धारा 73 से 76 अथवा किसी अन्य संगत उपबंध के अभिप्राय के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 (1) के अधीन लागत के अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है।

vii. क. हमें प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर तथा अन्य भौतिक संविधिक देयों सहित निविर्वादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा परीक्षा में काटी गई उपार्जित धनराशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कंपनी के पास कर्मचारी राज्य बीमा तथा उत्पाद शुल्क के कारण कोई देय नहीं था।

हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर तथा अन्य भौतिक सांविधिक देयों के संबंध में संदेय कोई निविवादित धनराशि संदेय

31st March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable.

b. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no material dues of duty of customs, income tax, sales tax which have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

viii. The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks, or debenture holders, the liability for repayment of which was incurred during the year. Accordingly, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.

ix. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.

x. According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

xi. According to the information and explanation given to us, the company is a government company. Therefore, provision of Section 197 of the act is not applicable pursuant to the Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Government of India. Accordingly, paragraph 3 (xi) of the Order regarding managerial remuneration is not applicable.

xii. The Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

xiii. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

xiv. According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

xvi. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

For S.R, Narke and Associates
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

Sd/
Nitin Narke
Partner
Membership number : 128064

Place : Nagpur
Dated : 21.10.2016

होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि तक बकायों में थी।

ख. हमारी राय में तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार सीमा शुल्क आयकर बिक्रीकर का कोई भौतिक देय नहीं था जिसे किसी विवाद के कारणवश उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

viii. कंपनी का किसी वित्तीय संस्था, बैंक या डिबेंचर होल्डर से कोई ऋण अथवा उधार नहीं है जिसके द्वारा भुगतान की तारीख वर्ष के दौरान उपगत की गई थी। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) तथा मियादी ऋणों के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश का पेरा 3 (ix) लागू नहीं होता।

x. हमें प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी अथवा सूचित की गई है।

xi. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सरकारी कंपनी है। अतः अधिनियम की धारा 197 का उपबंध भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना 463(E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसरण में लागू नहीं होता है। तदनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में आदेश का पैरा 3 (xi) लागू नहीं होता है।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं होता है।

xiii. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी, के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188, जहां लागू हो के अनुपालन में है तथा ऐसे संव्यवहारों का ब्यौरा लागू लेखाकरण मानदंडों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv. हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों तथा पूर्णतया अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है।

xv. हमें प्रदत सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निर्देशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता है।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफआर न. 106946 डब्ल्यू

ह/
नितिन नार्के
भागीदार
सदस्य सं. 128064

स्थान: नागपुर
दिनांक: 21.10.2016

ANNEXURE - B TO THE AUDITORS' REPORT

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General under Sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

1. Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title /lease are not available?

   Land parcels at various locations have been acquired from various Government agencies. However, execution of title deeds is pending. (Refer item no. ii of explanatory note for Note no.8). Also, refer to point No. i (C) of Annexure A)

2. Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.

   As per the information and explanations given to us, the company has not written off any debts/Loans/interest during the year.

3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from the Govt. or other authorities.

   As per the information and explanations given to us, the company does not have any inventory lying with third parties and the company has not received any asset as Gift from Govt. or other authorities during the year.

For S.R. Narke and Associates
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

Sd/
Nitin Narke
Partner
Membership number : 128064

Place : Nagpur
Dated : 21.10.2016

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 5 के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

1. क्या कंपनी के पास फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वत्व पट्टा विलेख है, यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए पट्टा उपलब्ध नहीं है।

   विभिन्न स्थानों पर भूमि खंड विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त किए गए हैं। तथापि स्वत्व विलेख का निष्पादन लंबित है। (नोट संख्या 8 के लिए व्याख्यात्मक नोट की मद सं. 11 का संदर्भ लें) साथ ही अनुलग्नक-क के बिंदु सं. 1 ग का संदर्भ ले।

2. क्या ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है, यदि ऐसा है तो उसके कारण एवं निहित धनराशि का उल्लेख करें।

   हमें प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण/उधार/ब्याज को बट्टे खाते नहीं डाला है।

3. क्या तीसरे पक्षों के पास पड़ी वस्तु सूची तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदानों के रुप में प्राप्त परिसंपत्ति के लिए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए जाते हैं।

   हमें प्रदत सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास तीसरे पक्षों के पास पड़ी कोई वस्तु सूची नहीं है और कंपनी ने वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति नहीं प्राप्त की है।

एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर न. 106946 डब्ल्यू

ह/
नितिन नार्के
भागीदार
सदस्य सं. 128064

स्थान: नागपुर
दिनांक: 21.10.2016

ANNEXURE - C TO THE AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("The Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Nagpur Metro Rail Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा तीन के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ तालमेल से की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन इसकी परिसंपत्ति के रक्षोपायों धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता तथा परिपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैनाती करने सहित इन के कामकाज का व्यवस्थित एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे थे जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेवारी

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करनी है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट मार्गदर्शन नोट तथा आई सी ए आई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत विहित समझी गई लेखा परीक्षा संबंधी मानदंडों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, दोनों द्वारा जारी सीमा तक की। उन मानदंडों तथा मार्गदर्शन नोट्स में अपेक्षा की गई है कि नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य करते थे। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता तथा उनके परिचालन प्रभावकारिता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्रिया-विधियों का निष्पादन करना निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी, इस जोखिम का मूल्यांकन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है तथा डिजाइन की जांच एवं मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावकारिता शामिल है। चयनित क्रियाविधियां वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्याविवरण के जोखिम के इस मूल्यांकन की यह धोखाधड़ी के कारण है अथवा त्रुटिवश सहित लेखापरीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की

reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For S.R, Narke and Associates.
Chartered Accountants
FR No. : 106946W

Sd/
Nitin Narke
Partner
Membership number : 128064

Place : Nagpur
Dated : 21.10.2016

विश्वसनीयता तथा बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वैसी नीतियां तथा क्रियाविधियां शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्ति के संव्यवहार तथा स्थिति को यथार्थत: एवं निष्पक्षतापूर्वक प्रतिबिंबित करते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन देने के लिए यथा आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते है तथा यह कि कंपनी आय एवं व्यय कंपनी के एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं (3) अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग की रोकथाम अथवा समय पर उनका पता लगाने अथवा कंपनी की परिसंपत्ति की स्थिति के संबंध में तर्क संगत आश्वासन देते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

सांठगांठ की संभावना अथवा अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण नियंत्रणों का उल्लंघन त्रुटि अथवा धोखाघड़ी के कारण भौतिक मिथ्याविवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का भावी अवधियों में प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकते है अथवा नीतियों या क्रियाविधि के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी के पास सभी भौतिक प्रकारों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे थे जो भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के दृष्टिगत कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते एस आर नार्के एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ आर: 106946 डब्ल्यू

ह/
नितिन नार्के
भागीदार
सदस्यता संख्या: 128064

स्थान: नागपुर
दिनांक: 21.10.2016

COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT,2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NAGPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE FINANCIAL YEAR 18 FEBRUARY 2015 TO 31 MARCH 2016

The preparation of Financial Statements of **Nagpur Metro Rail Corporation Limited** for the financial year 18 February 2015 to 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Ac, 2013 (Act) is responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(7) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 October 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit under section 143 (6)(a) of the Act of the Financial Statements of **Nagpur Metro Rail Corporation Limited** for the financial year 18 February 2015 to 31 March 2016. This Supplementary Audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and the company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member, Audit Board-I,
Mumbai.

Place: Mumbai
Date: 15 December 2016

वित्तीय वर्ष 18 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 18 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए **नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के अधीन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानदण्डों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। ऐसा बताया जाता है कि यह उनके द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से **नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय वर्ष 18 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2016 तक के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (a) के अधीन पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रारंभिक कागजात प्राप्त किए बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों और की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में वैसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी कर सके या इसे संपूरित कर सके।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा एवं उनकी ओर से

(रूप राशि)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक
तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड - १
मुंबई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 दिसंबर, 2016

METRO BHAVAN

ROUTE MAP

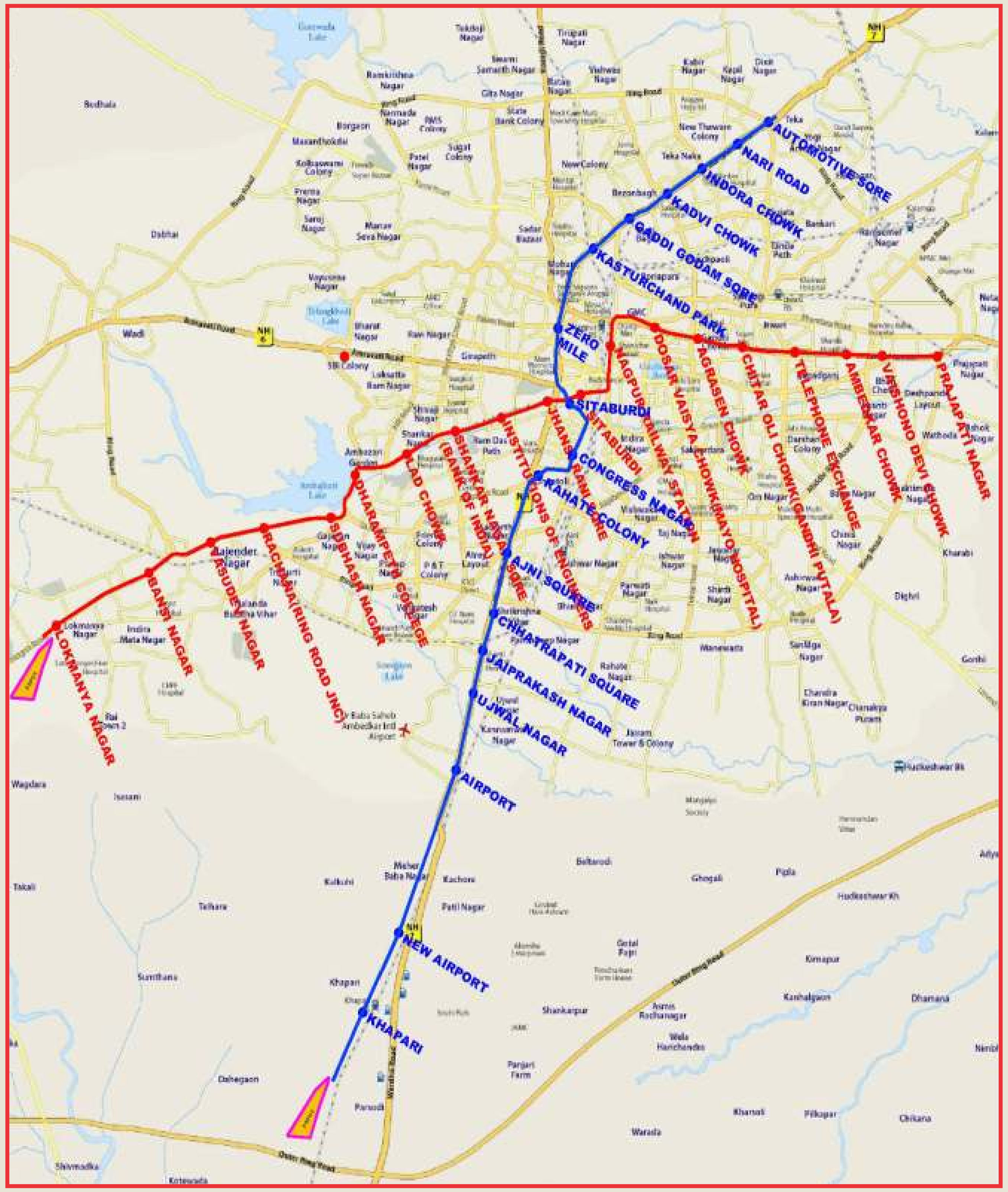

Line 1 : North - South Corridor

Line 2 : East - West Corridor

World Class Metro Stations
ZERO MILE STATION
TRAFFIC AND TRANSIT MANAGEMENT CENTRE
NAGPUR CITY CENTRE OF NMRCL
SITABULDI INTERCHANGE STATION
VIEW OF SITABULDI INTERCHANGE AND ZERO MILE STATION